प्रकरण संख्या 2/2024 रमेश व अन्य बनाम अम्बावा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नंबर 1868, 1869, 1895 स्थित है, जिस पर प्रार्थी अप्रार्थी की आराजी नंबर 1866, 1867/1 में से सदीप से आता–जाता है एवं मौके पर रास्ता बना हुआ है, किन्तु अप्रार्थी भू–माफियाओं से मिलकर भूमि खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है, जिससे प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध हो जायेगा। अतः प्रार्थी को विद्यमान 12 फिट का रास्ता आराजी नंबर 1866 मी., 1867/1 के कायम किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2020 को प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया तथा पुनः दिनांक 14.12.2022 को प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया। तत्पश्चात् पुनः दिनांक 31.07.2024 को पत्रावली प्रस्तुत होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.09.2024 नियत की गयी तथा दिनांक 09.09.2024 आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.10.2024 नियत की गयी, किन्तु पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज होने एवं पुनः दर्ज होने के मध्य दिनांक 29.05.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नंबर 1866 व 1867/1 रकबा 225,800 square meter में से 900 square meter संपरिवर्तन बाब्त आदेश पारित किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23.07.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह राजपूत उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:23 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2023 की प्रथम बार जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 20.06.2024 हुई। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त संपरिवर्तन आदेश अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को पूर्व में होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने संपरिवर्तन बाबत् जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें विवादित भूमि बाबत् कोई विवाद अंकित नहीं होने का कथन किया है, जबकि उक्त भूमि बाबत् रास्ते का प्रार्थना पत्र वर्ष 2016 से विचाराधीन है। उक्त संपरिवर्तन आदेश की आड़ में प्रत्यर्थी संख्या 1 रास्ते की भूमि पर निर्माण करने पर आमादा हैं, जिससे अपीलान्टगण को भारी असुविधा होगी तथा वह अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित हो जायेगा, जबकि अपीलान्टगण उक्त रास्ते का सदियों से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29.05.2023 अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया है, जिससे अपीलान्टगण का कोई संबंध नहीं है, न ही उक्त भूमि से अपीलान्टगण के खातेदारी भूमि में जाने का कोई रास्ता है। अपीलान्टगण का रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:23 IST
Reason: SelfAttested

एवं दिनांक 14.12.2022 को दो बार अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुआ है तथा उक्त संपरिवर्तन आदेश अपीलान्टगण का प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज होने के बाद का है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का संपरिवर्तन आदेश विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् अपीलान्टगण द्वारा वर्ष 2016 में धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, हालांकि अपीलान्ट/प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दो बार दिनांक 05.02.2020 एवं दिनांक 14.12.2022 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुआ है, किन्तु दिनांक 31.07.2024 को पत्रावली पुनः पेश हुई है, किन्तु इस बीच दिनांक 29.05.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सुने संपरिवर्तन आदेश पारित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का संपरिवर्तन आदेश क्रमांक LC/2022-23/132087 दिनांक 29.05.2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उक्त धारा 251–क के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रास्ते बाबत् निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.04.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:23 IST
Reason: SelfAttested